न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 718/2019

1. करतार सिंह पुत्र तला सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

– वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बहमण कौर सिंह तहसील तलवंडी साबो जिला बंठिडा (पंजाब)।
2. मनप्रीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बहमण कौर सिंह तहसील तलवंडी साबो जिला बंठिडा (पंजाब)।
3. हरप्रीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बहमण कौर सिंह तहसील तलवंडी साबो जिला बंठिडा (पंजाब)।
4. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनंदन सिंह अधिवक्ता	वादी
2	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 4

दिनांकः 17.02.2020

निर्णय

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि पक्षकार हिन्दु धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है और आपस में रक्त संबध है। चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 37/33 प0न0 90/116 मु0न0 4 कि0न0 5, 6, 13 ता 18, 22 ता 25 सालम प0न0 89/117 मु0न0 12 कि0न0 6, 15 सालम, प0न0 90/117 मु0न0 13 कि0न0 2 ता 25 सालम, प0न0 91/117 मु0न0 14 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 सालम, प0न0 91/118 मु0न0 15 कि0न0 1 सालम, प0न0 90/118 मु0न0 16 कि0न0 2 ता 5 कुल किता 61 कुल क्षेत्रफल 15.433 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से प्रतिवादीगण के नाम 1.286 हैक्टर नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण का व्यवहार वादी के साथ पिछले कुछ वर्षो से सही नही रहा है जिसके चलते वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग निवास कर रहे है। प्रतिवादीगण के इसी व्यवहार के चलते घरू तौर पर रिशतेदारो एवं बिरादरी के मध्य हुई पंचायत के आधार पर वादी को चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 37/33 में प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.286 हैक्टर नहरी तमाम आराजी वादी को मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है जो कि कब्जा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादी को प्रतिवादीगण से प्राप्त हुई है आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नही रहने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 3 अक्सर धमकियां देते है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर देगें तथा उक्त वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 37/33 में 1.286 हैक्टर नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो वादी को दावा की मंद संख्या 6 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने का हक व अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण 1 ता 3 को कहा कि वह वादी को मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्जा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 6 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आधार पर उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। पहले तो प्रतिवादीगण 1 ता 3 आज कल करते रहे लेकिन दिनॉक 09.08.2019 को बैमुकाम करड़वाला में स्पष्ट ईन्कार हो गये और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर देगें बेचान कर अन्यत्र खरीद कर लेगें ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले तुम्हे जो करना है कर लो। बस यही बिनाय दावा है। वाद वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद वादी का निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

लिहाजा इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादी को चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 37/33 प0न0 90/116 मु0न0 4 कि0न0 5, 6, 13 ता 18, 22 ता 25 सालम प0न0 89/117 मु0न0 12 कि0न0 6, 15 सालम, प0न0 90/117 मु0न0 13 कि0न0 2 ता 25 सालम, प0न0 91/117 मु0न0 14 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 सालम, प0न0 91/118 मु0न0 15 कि0न0 1 सालम, प0न0 90/118 मु0न0 16 कि0न0 2 ता 5 कुल किता 61 कुल क्षेत्रफल 15.433 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.286 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादीगण 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बाद तामिल हाजिर ना होने के बाद एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही होगा।

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादी के मामा के पौत्र पौत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो मुताबिक बंटवारा वादी के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी को चक 8 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 37/33 प0न0 90/116 मु0न0 4 कि0न0 5, 6, 13 ता 18, 22 ता 25 सालम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

प0न0 89/117 मु0न0 12 कि0न0 6, 15 सालम, प0न0 90/117 मु0न0 13 कि0न0 2 ता 25 सालम, प0न0 91/117 मु0न0 14 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 सालम, प0न0 91/118 मु0न0 15 कि0न0 1 सालम, प0न0 90/118 मु0न0 16 कि0न0 2 ता 5 कुल किता 61 कुल क्षेत्रफल 15.433 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.286 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादीगण 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है।

एवं उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि रकबा बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावे तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: